संख्या-4/2018-6983/62-2-2017-2/3(07)/2017टी0सी0

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 01 फरवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को अवमुक्त कर व्यय किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-101/ल0सिं0/बजट-अधि0/2017-18, दिनांक 30.11.2017 एवं शासनादेश संख्या-5783/62-2-2017-2/3(07) 2017/ दिनांक 25.08.2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0-25.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 25.08.2017 द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-10.42 लाख को समायोजित कर अवशेष धनराशि रू0-14.58 लाख (रूपया चौदह लाख अट्ठावान हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुए 04 नग टाटा सोमो गोल्ड सी0एक्स0पी0एस0 वाहनों के प्रतिस्थापन के आधार पर क्रय के लिए धनराशि रू0-23.08 लाख क्रय हेतु उक्त सीमा तक व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित शर्तो के अतिरिक्त निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये पोर्टल जेम के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन के आधार पर क्रय किये गये जाने वाले वाहनों के संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था/ सीमा तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) प्रश्नगत वाहनों का क्रय प्रतिस्थापन स्वरूप ही किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित कर लेंगें कि प्रश्नगत वाहनों के क्रय हेतु घोषित निष्प्रयोज्य वाहनों की धनराशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(5) प्रश्नगत वाहनों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वाहन क्रय हेतु गुणवत्ता, वरीयता आदि सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

(7) मितव्यता के दृष्टिगत वाहनों का नितान्त आवश्कयता / अपरिहार्यता होने पर प्रतिस्थापन हेतु वाहन क्रय किया जाय।

2. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-मद-14 मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श / सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-6983(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।